उत्तर प्रदेश शासन

वित्त(सेवायें) अनुभाग-2

संख्या-52/2018/एस-2-2650/दस-2018-88क(10)2017टी0सी0-।।

लखनऊ :: दिनॉक:: 31 अक्टूबर,2018

<u>कार्यालय-आदेश</u>

श्री राज्यपाल, सम्यक विचारोपरान्त उ0प्र0 वित्त एवं लेखा सेवा ग्रेड वेतन रू0 8700/- के अधिकारी श्री राम लवट त्रिपाठी, संयुक्त निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ (सम्बद्ध वित्त विभाग) को तत्काल प्रभाव से संयुक्त सचिव, वित्त विभाग, उ0प्र0 शासन के पद पर तैनात किये जाने के सहर्ष आदेश प्रदान करते हैं।

2- उक्त स्थानान्तरित अधिकारी अपने नवीन तैनाती के पद व स्थान पर कार्यभार ग्रहण कर, कार्यभार प्रमाणक की प्रति शासन एवं निदेशक कोषागार को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेंगे।

अजय कुमार शुक्ला
सचिव।

<u>संख्या-52/2018/ एस-2-2650(1)/दस-2018,तददिनॉक।</u>

प्रतिलिपि- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1- अपर मुख्य सचिव, सचिवालय प्रशासन विभाग, उ0प्र0शासन।
2- निदेशक, कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
3- निदेशक, वित्तीय प्रबन्ध प्रशिक्षण एवं शोध संस्थान, उ0प्र0 लखनऊ।
4- अपर निदेशक, कोषागार निदेशालय,शिविर कार्यालय, उ0प्र0 प्रयागराज।
5- इरला चेक अनुभाग, उ0प्र0 शासन।
6- संबंधित अधिकारी।
7- गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(हरिश्चन्द्र)
उप सचिव।

1-यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
2-इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है।